भारत - बांग्लादेश

बांग्लादेश पुलिस द्वारा हिंदू साधु को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करने और मंगलवार को अदालत द्वारा उसे जमानत देने से इनकार करने के एक दिन बाद, भारत ने "गहरी चिंता" व्यक्त की और अधिकारियों से पड़ोसी देश में "हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने" का आग्रह किया।

भारत और बांग्लादेश के बीच इतिहास:

विभाजन-पूर्व संबंध: 1947 के विभाजन से सांस्कृतिक और भाषाई संबंध बाधित हुए, जिससे बड़े पैमाने पर परिवार अलग हो गए और पलायन हुआ।

1971 मुक्ति संग्राम: भारत के सैन्य और नैतिक समर्थन ने पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की नींव रखी।

स्वतंत्रता के बाद का सहयोग: भारत बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश था और लोगों के बीच गहरे संबंध साझा करना जारी रखता है।

साझा बलिदान: विजय दिवस के स्मरणोत्सव जैसे साझा इतिहास के लिए आपसी सम्मान के माध्यम से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया गया है।

सहयोग के क्षेत्र:

आर्थिक भागीदारी: बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में 18.2 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है।

संपर्क: रेल संपर्कों की बहाली, अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल (PIWTT), और अगरतला-अखौरा रेल लिंक।

विकास सहायता: भारत ने बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए बांग्लादेश को 8 बिलियन डॉलर की ऋण सहायता दी।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान: इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र (IGCC) जैसी संस्थाएँ साझा सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देती हैं।

रक्षा सहयोग: CORPAT और बंगोसागर नौसैनिक अभ्यास जैसे संयुक्त अभ्यास सुरक्षा संबंधों को बढ़ाते हैं।

चुनौतियाँ:

जल साझाकरण: तीस्ता और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर विवाद अभी भी अनसुलझे हैं, जिससे आजीविका और विश्वास प्रभावित हो रहा है।

अवैध आव्रजन: सीमा पार प्रवास सीमावर्ती भारतीय राज्यों में सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक तनाव पैदा करता है।

चीन का प्रभाव: बेल्ट एंड रोड पहल के तहत बुनियादी ढांचे में निवेश सहित चीन के साथ बांग्लादेश के बढ़ते संबंध भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां पेश करते हैं।

आतंकवाद और उग्रवाद: उग्रवादी समूहों की सीमा पार गतिविधियाँ और चरमपंथी तत्वों के लिए कथित समर्थन सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।

गैर-टैरिफ बाधाएँ: लंबी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और नियामक बाधाओं से व्यापार वृद्धि बाधित होती है।

आगे की राह:

जल विवादों का समाधान: आपसी बातचीत और समयबद्ध समाधानों के माध्यम से तीस्ता और अन्य नदियों पर समझौतों को प्राथमिकता दें।

संपर्क बढ़ाएँ: आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तटीय, सड़क और रेल नेटवर्क विकसित करें।

ऊर्जा सहयोग: स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग को मजबूत करें और भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन जैसी पहलों को अंतिम रूप दें।

चीन के प्रभाव का मुकाबला करें: क्षेत्रीय भूराजनीति को संतुलित करने के लिए बांग्लादेश को तकनीकी, वित्तीय और रणनीतिक सहायता प्रदान करें।

शरणार्थियों के मुद्दों को संबोधित करें: सार्क पहलों के माध्यम से शरणार्थी संकटों के प्रबंधन के लिए एक क्षेत्रीय ढांचे पर सहयोग करें।

निष्कर्ष:

भारत और बांग्लादेश के रिश्ते साझा इतिहास और भविष्य की संभावनाओं से चिह्नित हैं। चुनौतियों का समाधान करके और सहयोग को बढ़ावा देकर, दोनों देश अपनी साझेदारी को मजबूत कर सकते हैं, जिससे न केवल उन्हें बल्कि पूरे क्षेत्र को लाभ होगा।

बायोमेडिकल अपशिष्ट

एचआईवी महामारी और "सिरिंज टाइड" जैसी घटनाओं ने अनुचित बायोमेडिकल अपशिष्ट निपटान के खतरों को उजागर किया, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय सुधारों को बढ़ावा मिला।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1. एचआईवी महामारी (1983): ल्यूक मॉन्टैग्नियर और रॉबर्ट गैलो द्वारा एचआईवी की पहचान ने वैश्विक भय और कलंक को जन्म दिया, जिसने चिकित्सा अपशिष्ट के जोखिमों पर जोर दिया।

2. सिरिंज टाइड (1987): अमेरिका में समुद्र तट चिकित्सा अपशिष्ट से प्रदूषित हो गए, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया और नियामक कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

3. भारत का परिदृश्य: भारत में पहला एचआईवी मामला (1986) और बायोमेडिकल अपशिष्ट कानून की कमी ने अपशिष्ट प्रबंधन में खामियों को उजागर किया।

वैश्विक और राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के परिणाम:

संयुक्त राज्य अमेरिका:

1. मेडिकल वेस्ट ट्रैकिंग एक्ट (1988): अस्पताल के कचरे को खतरनाक के रूप में वर्गीकृत किया गया, व्यवस्थित हैंडलिंग और निपटान प्रोटोकॉल लागू किए गए।

2. पारदर्शिता और जवाबदेही: अन्य देशों के लिए बेंचमार्क विनियामक ढाँचे।

भारत:

1. न्यायिक हस्तक्षेप: डॉ. बी.एल. वडेहरा बनाम भारत संघ (1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के अपशिष्ट कुप्रबंधन की आलोचना की, जिससे देशव्यापी कार्रवाई हुई।

2. बायोमेडिकल वेस्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम (1998): बायोमेडिकल कचरे को खतरनाक के रूप में मान्यता देने वाला पहला विनियमन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सशक्त बनाना।

3. संशोधन और अद्यतन: 2016 में प्रोटोकॉल को मजबूत किया गया और 2020 में एकीकृत प्रौद्योगिकी उन्नति की गई।

भारत के बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की मुख्य विशेषताएँ:

1. अपशिष्ट पृथक्करण और रंग-कोडिंग:

o स्रोत पर अपशिष्ट को अलग-अलग श्रेणियों में अलग करना अनिवार्य किया गया।

o आसान पहचान और हैंडलिंग के लिए रंग-कोडित कंटेनरों (पीला, लाल, नीला, सफेद) का उपयोग।

2. उपचार और निपटान प्रौद्योगिकियाँ:

o उन्नत अपशिष्ट उपचार विधियों का कार्यान्वयन:

 भस्मीकरण: संक्रामक और रोग संबंधी अपशिष्ट के लिए।

 ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग: तीक्ष्ण और अन्य श्रेणियों के कीटाणुशोधन के लिए।

 रासायनिक कीटाणुशोधन: तरल अपशिष्ट के लिए।

रक्त और दूषित तरल पदार्थ जैसे अपशिष्ट।

o ग्रामीण और संसाधन-सीमित क्षेत्रों में जहाँ भस्मीकरण संभव नहीं है, वहाँ गहरे दफनाने की पद्धति को अपनाना।

3. स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा:

o खतरनाक अपशिष्टों से निपटने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का प्रावधान।

o सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम।

o संक्रामक अपशिष्टों से निपटने वाले श्रमिकों के लिए हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण।

4. निगरानी और अनुपालन तंत्र:

o अपशिष्ट उत्पादन और निपटान की निगरानी के लिए केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सशक्त बनाना।

o स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के लिए प्राधिकरण प्राप्त करने और अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता।

o नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण और ऑडिट।

5. अनिवार्य रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड-कीपिंग:

o स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को उत्पन्न, उपचारित और निपटाए गए अपशिष्ट का रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए।

o जवाबदेही बढ़ाने के लिए कुछ राज्यों में बारकोड ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग।

6. साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाएँ (सीबीडब्ल्यूटीएफ):

o छोटी स्वास्थ्य सेवा इकाइयों से जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार के लिए साझा सुविधाओं की स्थापना, जिससे व्यक्तिगत सुविधा लागत में कमी आएगी।

भारत में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में सीमाएँ:

1. अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं की सीमित संख्या, जिसके कारण असुरक्षित निपटान प्रथाएँ होती हैं।

2. कमज़ोर प्रवर्तन और अनुपालन: पृथक्करण और निपटान प्रोटोकॉल का खराब पालन, साथ ही अधिकारियों द्वारा ढीली निगरानी और प्रवर्तन।

3. व्यावसायिक खतरे: अपर्याप्त प्रशिक्षण और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) की कमी स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों और अपशिष्ट संचालकों को स्वास्थ्य जोखिमों के लिए उजागर करती है।

4. कम सार्वजनिक जागरूकता: जैव चिकित्सा अपशिष्ट के खतरों के बारे में जनता और अनौपचारिक अपशिष्ट संचालकों के बीच सीमित ज्ञान असुरक्षित हैंडलिंग प्रथाओं को जन्म देता है।

5. साझा उपचार सुविधाओं में अक्षमता: सीबीडब्ल्यूटीएफ का असमान वितरण और अधिक बोझ कुछ क्षेत्रों में प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन में बाधा डालता है।

आगे की राह: 1. ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करें: असुरक्षित निपटान प्रथाओं को कम करने के लिए कम सेवा वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाएँ (CBWTF) स्थापित करें। उदाहरण: कई छोटी स्वास्थ्य सेवा इकाइयों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले CBWTF के तमिलनाडु के मॉडल को पूरे देश में दोहराया जा सकता है। 1. निगरानी और जवाबदेही बढ़ाएँ: अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बारकोडिंग और GPS का उपयोग करके वास्तविक समय ट्रैकिंग सिस्टम लागू करें। उदाहरण: केरल की एकीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन निगरानी प्रणाली (IBMWMS) प्रभावी रूप से उत्पादन से निपटान तक अपशिष्ट को ट्रैक करती है। 1. क्षमता निर्माण और व्यावसायिक सुरक्षा में सुधार: स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण, पीपीई का अनिवार्य उपयोग और जोखिम जोखिम को कम करने के लिए अपशिष्ट संचालकों के लिए टीकाकरण। उदाहरण: मुंबई के नगरपालिका अस्पताल अपने जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रोटोकॉल में सुरक्षा प्रशिक्षण और पीपीई प्रावधान को शामिल करते हैं। 1. तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा दें: गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट के उपचार के लिए प्लाज्मा पायरोलिसिस और अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों जैसी पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को प्रोत्साहित करें। उदाहरण: एम्स, नई दिल्ली, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए उन्नत ऑटोक्लेविंग और कीटाणुशोधन विधियों का उपयोग करता है।

1. सार्वजनिक जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाएँ: बायोमेडिकल अपशिष्ट जोखिमों और उचित निपटान पर जनता और अनौपचारिक अपशिष्ट संचालकों को शिक्षित करने के लिए अभियान चलाएँ।

उदाहरण: स्वच्छ भारत अभियान का विस्तार करके बायोमेडिकल अपशिष्ट जागरूकता अभियान को शामिल करें, जो स्वच्छता की सफलता पर आधारित हो।

निष्कर्ष:

एचआईवी महामारी और सिरिंज टाइड जैसी घटनाओं ने वैश्विक स्तर पर बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। 1990 के दशक से भारत के विधायी और नीतिगत सुधारों ने निरंतर प्रयास के माध्यम से चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता को उजागर किया है। जबकि अंतराल बने हुए हैं, प्रगति दीर्घकालिक समाधानों के लिए संकटों का लाभ उठाने की महत्वपूर्णता को दर्शाती है।

उद्धरण: “एक संकट अक्सर परिवर्तनकारी सुधार की नींव के रूप में कार्य करता है।”

बाल्टिक सागर

बाल्टिक सागर में अंडरसी केबल्स के कटने से भू-राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, विशेष रूप से चल रहे यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में।

बाल्टिक सागर के बारे में:

• स्थान: उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा, उत्तरी यूरोप में स्थित, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप को महाद्वीपीय यूरोप से अलग करता है।

• आसपास के देश: डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड और स्वीडन।

• कनेक्शन: डेनिश जलडमरूमध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ता है, जो वैश्विक व्यापार और संपर्क को सुविधाजनक बनाता है।

• गहराई और क्षेत्र: औसत गहराई 55 मीटर है; सबसे गहरा बिंदु 459 मीटर है।

• खाड़ी: इसमें बोथनिया की खाड़ी (उत्तर), फिनलैंड की खाड़ी (पूर्व) और रीगा की खाड़ी (दक्षिण) शामिल हैं।

• नदियाँ: इसमें 250 से अधिक नदियाँ बहती हैं, जिनमें नेवा नदी सबसे बड़ी योगदानकर्ता है।

• द्वीप: इसमें 20 से अधिक द्वीप और द्वीपसमूह हैं, जिनमें गोटलैंड (स्वीडन के तट से दूर) सबसे बड़ा है।

SAREX-24

भारतीय तटरक्षक बल के राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास (SAREX-24) का 11वां संस्करण कोच्चि, केरल में आयोजित किया जा रहा है।

SAREX-24 के बारे में:

• स्थान: कोच्चि, केरल।

• थीम: “क्षेत्र के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाना

सहयोग।”

• गतिविधियाँ:

• तटरक्षक, नौसेना, वायु सेना, कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण और सीमा शुल्क की भागीदारी के साथ आकस्मिकताओं से संबंधित समुद्री अभ्यास।

• उद्देश्य:

• परिचालन दक्षता और समन्वय का मूल्यांकन करना।

• क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को मजबूत करना।

• महत्व: अब तक का सबसे बड़ा सिमुलेशन, तटीय राज्यों और मित्र देशों के साथ सहकारी जुड़ाव को बढ़ाना।

रेलवे सुरक्षा आयुक्त

भारत के पहले वर्टिकल-लिफ्ट पम्बन ब्रिज का उद्देश्य रामेश्वरम और तमिलनाडु के बीच संपर्क को बढ़ावा देना है। हालाँकि, सीआरएस द्वारा उठाई गई सुरक्षा चिंताओं और नियोजन की खामियों की जाँच की गई है।

रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) के बारे में:

• भूमिका: रेलवे अधिनियम, 1989 में उल्लिखित रेल यात्रा और संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

• जिम्मेदारियाँ: ट्रेन दुर्घटनाओं की जाँच करना और सरकार को सुरक्षा संबंधी सिफारिशें करना।

• रिपोर्टिंग संरचना: नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) के अधीन, ताकि रेल मंत्रालय के प्रभाव से बचा जा सके।

• नेतृत्व: रेलवे सुरक्षा के मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में, जिसका मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है।

• स्वतंत्रता: रेलवे प्रतिष्ठान के भीतर हितों के टकराव से बचने के लिए संरचित।

नया पंबन ब्रिज:

• अनूठी विशेषता: भारत का पहला वर्टिकल-लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल, जिसमें नेविगेशनल क्लीयरेंस के लिए एक स्पैन लंबवत चलता है।

• स्थान: तमिलनाडु की मुख्य भूमि पर रामेश्वरम द्वीप को मंडपम से जोड़ता है।

• विशिष्टताएँ:

• कुल लंबाई: 99 स्पैन के साथ 2.078 किमी।

• प्रौद्योगिकी: ऊर्ध्वाधर लिफ्टिंग के लिए ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के साथ इंटरलॉक किए गए इलेक्ट्रोमैकेनिकल नियंत्रण की सुविधा।

• डिजाइन नवाचार: 1914 में निर्मित पुराने पंबन ब्रिज की जगह दोहरी रेलवे लाइनों और भविष्य के विद्युतीकरण के लिए डिज़ाइन किया गया।

पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाएँ

कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (CIAL) ने हाल ही में पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाओं (AQCS) प्रमाणन के तहत एक पालतू जानवर के अपने पहले सफल आयात की सुविधा प्रदान की।

पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाओं के बारे में:

• स्थापित: भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-70) के दौरान शुरू किया गया।

• केंद्रीय पशुपालन विभाग के तहत AQCS प्रमाणन।

• AQCS के उद्देश्य:

• रोग की रोकथाम: पशुधन आयात अधिनियम के अनुसार, आयात के माध्यम से भारत में विदेशी पशुधन रोगों के प्रवेश को रोकना।

• पशु रोगों के खिलाफ रक्षा: पशुधन, उत्पादों और सूक्ष्मजीवों के आयात विनियमन, प्रतिबंध और निषेध पर नीतियों को लागू करना।

• निर्यात प्रमाणन: निर्यात को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रमाणन प्रदान करना।

• निरीक्षण और पंजीकरण: अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए पशु उप-उत्पादों का निर्यात करने वाले संयंत्रों/मिलों का निरीक्षण और पंजीकरण करना।

• प्राथमिक कार्य:

• पशुधन आयात अधिनियम का कार्यान्वयन।

• आयातित/निर्यात किए गए पशुधन और उत्पादों का निरोध, परीक्षण और निरीक्षण।

• स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाले संक्रमित आयातों को नष्ट करना।

• अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए पशुधन निर्यात के लिए प्रमाणन।